संख्याः06/2024/393 /61-2024-002-06-Reappropriation-2024-2025

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग, लखनऊः दिनांक 04 सितम्बर, 2024

विषयः **अनुदान संख्या-41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या—2878/सी0ई0ओ0-3-26/3-2024, दिनांक-29 जुलाई, 2024 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधीन कार्यालय व्यय एवं अन्य व्यय के लिए रू0—5,46,13,000/- (रूपये पाँच करोड़ छियालीस लाख तेरह हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1) के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों)

(1) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(2) केवल बजट व्यवस्था के उद्देश्य से पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि प्रदान की जा रही है। प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि स्वीकृति किये जाने के विषय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये औचित्य का परीक्षण कर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेंगे तथा सुसंगत वित्तीय नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप धनराशि के उपयोग का सम्पूर्ण दायित्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय का होगा ।

(3) जिस मद से पनुर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष में पुनर्विनियोग प्रस्तावित नहीं किया जायेगा ।

(4) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा जिस प्रयोजन हेतु धनराशि की मांग की जा रही है, उसी मद में ही आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी ।

(5) मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दि0 31 मार्च, 2025 तक सुनिश्चित कर लिया जाएगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2015001050300 (सामान्य निर्वाचन)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	041	2015001050300 सामान्य निर्वाचन	42 अन्य व्यय	5,15,00,000 (रुपये पाँच करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)
	कुल			**5,15,00,000** **(रुपये पाँच करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2015001050500 (राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उपनिर्वाचन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	041	2015001050500 राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उपनिर्वाचन	08 कार्यालय व्यय	4,08,000 (रुपये चार लाख आठ हजार मात्र)
	कुल			**4,08,000 (रुपये चार लाख आठ हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001060400 (सामान्य निर्वाचन-राज्य़विधान परिषद)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	041	2015001060400 सामान्य निर्वाचन-राज्य़विधान परिषद	08 कार्यालय व्यय	26,94,000 (रुपये छब्बीस लाख चौरानबे हजार मात्र)
	कुल			**26,94,000 (रुपये छब्बीस लाख चौरानबे हजार मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2015001060600 (उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद)

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	041	2015001060600 उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद	08 कार्यालय व्यय	11,000 (रुपये ग्यारह हजार मात्र)
	कुल			**11,000 (रुपये ग्यारह हजार मात्र)**
महायोग				5,46,13,000 (रुपये पाँच करोड़ छियालीस लाख तेरह हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक:-प्रपत्र बी0एम0—9 (भाग—1)

भवदीय,

(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

संख्याः-06/2024/393(1) /61-2024-002-06-Reappropriation-2024-2025, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

(3) वित्त नियंत्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 , लखनऊ।

(4) सम्बन्धित कोषाधिकारी द्वारा निर्वाचन अनुभाग—3 कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी,उ0प्र0,
लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

(6) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह०/-
(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)पुनर्विनियोग

के लिए आवेदन/स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर-158)

A061-20242025-06-Reappropriation-2024-2025

विषय- अनुदान संख्या -41 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2015-निर्वाचन के अन्तर्गत विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में ।

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001050300 (सामान्य निर्वाचन)	04 (यात्रा व्यय)	73,10,00,000 रुपये तिहत्तर करोड़ दस लाख मात्र	5,46,13,000 रुपये पाँच करोड़ छियालीस लाख तेरह हजार मात्र	5,46,13,000 रुपये पाँच करोड़ छियालीस लाख तेरह हजार मात्र	5,46,13,000 रुपये पाँच करोड़ छियालीस लाख तेरह हजार मात्र	67,63,87,000 रुपये सड़सठ करोड़ तिरेसठ लाख सत्तासी हजार मात्र	2024-2025
कुल					**₹ 5,46,13,000**	**₹ 5,46,13,000**		

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
041	2015001060600 (उप निर्वाचन-राज्य विधान परिषद)	08 (कार्यालय व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	11,000 रुपये ग्यारह हजार मात्र	11,000 रुपये ग्यारह हजार मात्र	1,11,000 रुपये एक लाख ग्यारह हजार मात्र	2024-2025
041	2015001060400 (सामान्य निर्वाचन-राज्यविधान परिषद)	08 (कार्यालय व्यय)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	26,94,000 रुपये छब्बीस लाख चौरानबे हजार मात्र	26,94,000 रुपये छब्बीस लाख चौरानबे हजार मात्र	27,94,000 रुपये सत्ताईस लाख चौरानबे हजार मात्र	2024-2025
041	2015001050500 (राज्य सभा द्विवार्षिक निर्वाचन/उपनिर्वाचन)	08 (कार्यालय व्यय)	2,00,000 रुपये दो लाख मात्र	4,08,000 रुपये चार लाख आठ हजार मात्र	4,08,000 रुपये चार लाख आठ हजार मात्र	6,08,000 रुपये छह लाख आठ हजार मात्र	2024-2025
041	2015001050300 (सामान्य निर्वाचन)	42 (अन्य व्यय)	10,00,00,000 रुपये दस करोड़ मात्र	5,15,00,000 रुपये पाँच करोड़ पन्द्रह लाख मात्र	5,15,00,000 रुपये पाँच करोड़ पन्द्रह लाख मात्र	15,15,00,000 रुपये पन्द्रह करोड़ पन्द्रह लाख मात्र	2024-2025
कुल				**₹ 5,46,13,000**	**₹ 5,46,13,000**		

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे:- **उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार हैं:-**

(1) चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 में जनपदों से कम मांग प्राप्त होने की सम्भावना के कारण बचत सम्भावित है।

(2) वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध/विनियोग के सापेक्ष संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से हैः-

लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 में निर्वाचन ड्यूटी के दौरान मृत हुए कार्मिकों के आश्रित परिवारों को अनुग्रह राशि दिये जाने हेतु, उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2024 एवं उप निर्वाचन-2023 में हुए विविध व्ययों, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2020, उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्यों द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्विवार्षिक निर्वाचन-2024 में हुए विविध व्ययों तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के खण्ड स्नातक एवं खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 के व्ययों से सम्बन्धित राजकीय प्रेस, लखनऊ एवं रामपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये देयकों के भुगतान हेतु तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉ0 दिनेश शर्मा के त्यागपत्र के फलस्वरूप रिक्त पद की पूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विधान परिषद के हुए उप निर्वाचन-2023 में हुए विविध व्ययों से सम्बन्धित देयकों के भुगतान हेतु उक्त धनराशि की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर 150, 151 व 154 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: RE-budget-1-46-E-12-125-X-2024-25,

दिनांक:29-08-2024

सेवा में,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

(एस०पी० सिंह)
उप सचिव।

संख्या : A061-20242025-06-Reappropriation-2024-2025, तददिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियन्त्रक/वित्तीय सलाहकार, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में)
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ह०/-
(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।